फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

रतन लाल बनाम कमला

केस संख्या : 80/27 TR

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		पत्रावली आज दिनांक 28/5/25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड0 बार एसो0 जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/5/25 को पेश हो।	
	8/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी क्रमांक 6, 7 का जवाब पेश किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/5/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	
	14/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन के विवादित भू-भाग का निर्माण कार्य करने पर उतारू है, यदि अप्रार्थीगण उक्त कार्य करने में सफल रहते हैं तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों के आधार पर मामला अपूरणीय क्षति प्रतीत होती है, अत: दिनांक 25/10/2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को मामले के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:51 IST
Reason: SelfAttested